ड्रॉफ्ट : विद्यालय में मध्यान भोजन के माध्यम से सामाजिक समावेशन

विषय क्षेत्र 1 : विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण

मॉड्यूल 1 : विद्यालय में मध्यान भोजन के माध्यम से सामाजिक समावेशन को समझाना

भाग 1 : सामाजिक समावेशन को समझना एवं विभिन कारको को समझना

भाग 2 : मध्यान भोजन प्रणाली को समझना

भाग 3 : विद्यालय में मध्यान भोजन के माध्यम से सामाजिक समावेशन की पहल को केस स्टडी के द्वारा समझना

यह मॉड्यूल विद्यालय में सामाजिक समावेषन के बारे मे एक द्रष्टिकोंण निर्मित करता है। यह इस बात की गहन जानकारी देता है कि सामाजिक समावेषन को अलग-अलग व्यवहार में कैसे समझा और रूपांतरित किया जा सकता है। मॉड्यूल शिक्षकों को सामाजिक समावेषन संबंधी मुद्दे पर संवेदनषीलता और समझ को ग्रहण करने में सहायक होगा साथ ही साथ उन्हें व्यवहारिक रूप से उपयोगी दिषनिर्देष प्रदान करेगा। मॉड्यूल में शामिल केस-स्टडी का उद्देश्य विद्यालय में सामाजिक समावेशन के माध्यम से अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। शिक्षकगण अपनी सकारात्मक सोच और शैक्षणिक हस्ताक्षेप के माध्यम से बच्चों को समाज से अर्जित जातिवाद के प्रति रूढ़िवादी नजरिये को बदल सकते है।

भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा (Dignity Of Person) को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। लोकत्रांतिक समाज की स्थापना के लिए हमारे संवैधानिक मूल्य स्पष्ट दिशानिर्देशन प्रदान करते हैं और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वत्रंत अधिगमकर्त्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकत्रांतिक समाज में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु वातावरण का सृजन किया जा सके। समावेशन की ठोस प्रक्रिया प्रतीकात्मक लोकतंत्र से भागीदारी आधारित लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करती है।

समावेशी समाज का विकास उसमें निहित सम्पूर्ण मानवीय क्षमता के कुशलतापूर्वक उपभोग पर निर्भर करता है। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता के बिना समावेशी समाज का विकास सम्भव नहीं हो सकता है। शिक्षा समावेशन की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण औजार है। शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा लोकत्रांतिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका के लिए तैयारी करता है, वहीं दूसरी ओर समावेशन में बाधक तत्वों से निबटने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है।

> ***'समावेशन' समावेशन के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अन्तःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। (एन.सी.एफ.2005, पृष्ठ 96)***

बच्चों का समाजीकरण एक समान प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता, अतः समावेशन की प्रक्रिया भी एक समान नहीं रहती है। जिससे बच्चे के लिए वर्ण, जाति लिंग, न्याय एवं लोकतंत्र के नजरिए प्रभावित होते हैं। जब इस प्रकार के नजरिए को कई दृष्टियों से बल मिलता है तो ये मूल्यों में बदल जाते हैं। ये मूल्य संस्कृति में तत्पश्चात विचारधाराओं में बदलने की प्रक्रिया इसी क्रम की अगली श्रृंखला होती है। यह दुश्चक्र बार-बार के अनुभवों के पुर्नबलन से मजबूत होता जाता है। अतः इस दुश्चक्र को तोड़ने के लिए बच्चे के अनुभवों में बदलाव लाना आवश्यक होता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि बदलाव लाने वाला अनुभव बहुत सशक्त होना चाहिए जिससे पुराने अनुभवों को परिवर्तित करने/बदलने में मदद मिल सके। इस प्रकार बच्चे को परिवार, विद्यालय एवं समाज से ऐसे समावेशी अनुभव, समावेशी व्यवहार, समावेशी विश्वास एवं समावेशी संस्कृति उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे वह एक ऐसे लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में विकसित हो सके जो समावेशन के मूल्यों में दृढ़ आस्था रखता हो।

बच्चों को समाज में जो अनुभव, संस्कृति या मूल्य प्राप्त होते हैं, वह कहीं न कहीं विद्यालय में उनके व्यवहार में भी परिलक्षित होते हैं। हमारे समाज में विद्यमान असमानताएँ हमारी शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं।

इस प्रकार समावेशन की प्रक्रिया के पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम हो सकते हैं।

यहाँ पर हमारा सरोकार बच्चे के समावेशन की दो महत्वपूर्ण एजेन्सियों परिवार एवं विद्यालय से है।

परिवार तंत्र

बच्चे के सामाजीकरण की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, इसे अस्वीकारने का कोई ठोस आधार भी नहीं है। इस सामाजीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं परन्तु इतना तय है कि बच्चे के सामाजीकरण में परिवार की अहम् भूमिका होती है। परिवार में बच्चे के सामाजीकरण की उचित प्रक्रिया समावेशन हेतु आधार भूमि तैयार करती है। एक सामान्य बच्चे के सन्दर्भ में यह बहुत जरूरी है, लेकिन एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए इसके गहन निहितार्थ हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के समावेशन का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेशन से होकर गुजरता है। परिवार लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रश्रय देता है। अगर परिवार में निर्णयों में सहभागिता है, परिवार में सभी को अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के समान अवसर हैं तब इतना निश्चित है कि समावेशन के बारे में बच्चे के मजबूत सकारात्मक अनुभव होंगे। इसके उलट होने की स्थिति में बच्चा समावेशन के बारे मे नकारात्मक अनुभव ग्रहण करेगा। यह बात बहुत अधिक सतही लग सकती है, परन्तु इसके गम्भीर निहितार्थ हैं।

उदाहरण के लिए-

1. परिवार में खान-पान, शिक्षा, व्यवसाय, सम्पत्ति आदि के बारे में निर्णय एवं सहभागिता में लैंगिक आधार पर विभेद किया जाता है या नहीं किया जाता है।
2. परिवार में या आसपास मौजूद शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष चुनौती वाले बच्चों/व्यक्तियों के प्रति परिवार का नजरिया किस प्रकार का है ?
3. समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपवंचित वर्गों के बच्चों/ व्यक्तियों के प्रति परिवार का नजरिया किस प्रकार का है ?
4. परिवार में लोकतांत्रिक मूल्यों (समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि) मूल्यों के लिए पोषक वातावरण है या नहीं।

परिवार एवं परिवेश से प्राप्त समावेशी अनुभव, व्यवहार, विश्वास एवं संस्कृति के आधार पर बच्चे में समावेशी मूल्यों का विकास होता है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के समावेशन का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेशन से गुजरता है। प्रायः परिवार इस प्रकार के बच्चों के लिए निम्नांकित दो चरम दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं-

अति संरक्षण (Over protection)

बच्चों के प्रति यह दृष्टिकोण बच्चे की स्वनिर्भरता की प्रक्रिया में बाधक बनता है, जिसका समग्र परिणाम उसके समावेशन की प्रक्रिया में अवरोध के रूप में सामने आता हैं। बच्चे में उसकी सामर्थ्य/क्षमता के अनुरूप समाज में समावेशन की प्रक्रिया का बीजारोपण करना परिवार की अहम् जिम्मेदारी है।

अस्वीकरण (Rejection)

इन बच्चों के प्रति परिवार के दृष्टिकोण का यह दूसरा चरम छोर है। परिवार का यह दृष्टिकोण इस तथ्य का प्रतिरूपण करता है कि बच्चे की सामर्थ्य/क्षमता पर परिवार का विश्वास नहीं है। परिवार की दूसरी भूमिका यह भी है कि वह बच्चे में यह अनुभूति, विश्वास एवं मूल्य प्रतिस्थापित करे कि बच्चे को समाज में अपने समावेशन के बारे में विश्वास भी हो सके।
समग्र रूप से परिवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सन्दर्भ में दो मुख्य भूमिकाओं का निर्वहन करता है-

- इस प्रकार के बच्चे के समावेशन हेतु सामाजीकरण के विभिन्न उपादानों को उपलब्ध कराना तथा इसके लिए समुचित वातावरण निर्मित करना।
- यह भूमिका पहली भूमिका से ही निरूपित होती है। इसमें बच्चे को इस प्रकार के अनुभव, विश्वास, संस्कृति उपलब्ध कराई जाती है जिससे समावेशन के बारे में बच्चे के सकारात्मक मूल्य निर्मित हो सकें।

शिक्षा तंत्र

बच्चा परिवार के बाद जिस लघु समाज से परिचित होता है, वह उसका विद्यालय समाज होता है। बच्चा अपने परिवार से कुछ न कुछ सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य लेकर विद्यालय में आता है। यहाँ पर विद्यालय/शिक्षा तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि -

- बच्चा समावेशन के बारे में जो भी नकारात्मक अनुभव, विश्वास , संस्कृति एवं मूल्य लेकर विद्यालय आता है, उनका परिमार्जन करने हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करें।
- विद्यालय में निश्चित रूप से कुछ बच्चे समावेशन के बारे में सकारात्मक अनुभव, विश्वास , संस्कृति एवं मूल्य लेकर भी आते हैं, इनको फलने फूलने एवं अन्य बच्चों के साथ साझा करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराएँ ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी विद्यालयों को एक ऐसे रूप में परिलक्षित कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे की विभिन्नताओं (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आदि) के होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलकर ज्ञान सृजन करने के समान अवसर मिल सकें। उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कक्षा-कक्ष में उचित वातावरण मिल सके ताकि वे आत्म विश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी सम्प्रेषण आदि गुणों को स्वयं में विकसित करते हुए सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर हो सकें।
शिक्षा में समावेशन का वैचारिक एवं दार्शनिक आधार यह है कि-

- बच्चों के सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है, जैसे-अनुभवों के माध्यम से, चीजों को करने से, प्रयोग करके, पढ़ने, चर्चा करने, प्रश्न पूछने, सुनने, सोचने, चिन्तन करने, अभिव्यक्त करने, छोटे एवं बड़े समूह में गतिविधियाँ करने आदि तरीकों से बच्चा सीखता है।
- प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है
- बच्चों के सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है, जैसे-अनुभवों के माध्यम से, चीजों को करने से, प्रयोग करके, पढ़ने, चर्चा करने, प्रश्न पूछने, सुनने, सोचने, चिन्तन करने, अभिव्यक्त करने, छोटे एवं बड़े समूह में गतिविधियाँ करने आदि तरीकों से बच्चा सीखता है।
- बच्चों को सीखने-सिखाने के क्रम में समुचित अवसर देने की आवश्यकता होती
- सीखना किसी माध्यम या इसके बगैर भी सम्भव हो सकता है। अतः इसके लिए सीखने-सिखाने की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानना /समझना महत्वपूर्ण है।
- शिक्षार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी, पृष्ठभूमि के प्रति आदर रखना।
- बच्चों को सिखाने से पूर्व सीखने-सिखाने के लिए तैयार करने हेतु समुचित वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता होती
- बच्चा अनेक तथ्य याद तो कर सकता है परन्तु उन्हीं तथ्यों, अवधारणा एवं विचारों की अपने परिवेश से सम्बद्धता बिठा पाता है, जिनके बारे में उसकी भली-भाँति समझ बन चुकी है
- वरन् विद्यालय के बाहर भी निरन्तर चलती रहती है। अतः सीखने-सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार संचालित की जानी चाहिए कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाए तथा समझ विकसित करे बजाय इसके कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मात्र तथ्यों को रटता रहे।

समावेशन की नीति को हर स्कूल एवं सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिल सकें। ***(एन.सी.एफ.2005,पृष्ठ 96)***

अतः विद्यालयों में बच्चे के समावेशन के दो आयाम स्पष्टत: नजर आते हैं-

1. बच्चे को समझना: विद्यालयी प्रणाली में शामिल प्रत्येक बच्चे को उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी, शारीरिक क्षमता, मानसिक सामर्थ्य एवं उसके अधिगम के तौर तरीकों के सन्दर्भ में समझना आवश्यक है। इसी समझ के आधार पर बच्चे की सीखने-सिखाने की आवश्यकता के उपादानों को पहचानने में मदद मिल सकेगी।

2.बच्चे की आवश्यकता के अनुसार विद्यालयी पाठ्यचर्या का अनुकूलन करना: यह आयाम प्रथम आयाम का व्यवहारिक निरूपण करता है। इसके दायरे में बच्चे की आवश्यकतानुसार पाठ्यवस्तु/विषय सामग्री, शिक्षण विधियों/शिक्षण तकनीकों, कक्षा-कक्ष की गतिविधियों एवं मूल्यांकन के तौर तरीकों में अनुकूलन करने में सहायता मिल सकेगी। हमें कक्षा को समग्रता में समझने की आवश्यकता है तथा प्रत्येक बच्चे को सीखने-सिखाने की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकारने की जरूरत है।

सामान्यतः विद्यालय कुछ गिने-चुने बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में प्रदर्शन के अवसर देते रहते हैं। यद्यपि इन बच्चों को तो इससे फायदा होता है परन्तु अन्य बच्चे बार-बार उपेक्षित महसूस करते हैं। प्रशंसा हेतु श्रेष्ठता एवं योग्यता को आधार बनाने में प्रत्यक्षतः कोई बुराई भी नहीं दिखाई देती है परन्तु अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए। इन बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए और इन विशिष्ट क्षमताओं की भी तारीफ होनी चाहिए । यह सम्भव है कि इन बच्चों को अपना काम पूरा करने/प्रदर्शन करने के लिए अतिरिक्त समय या मदद की जरूरत होगी। इसके लिए अपेक्षित धैर्य समावेशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। **(*एन.सी.एफ.*2005, *पृष्ठ* 96)**

- विद्यालय में दण्ड एवं भय बच्चों में व्दिालय के प्रति अनुराग या लगाव को कम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के सीखने में बाधा पहुँचाते हैं।
- सीखना बच्चे में विद्यालय के प्रति लगाव पैदा करने वाला सकारात्मक घटक है। अतः विद्यालयों में समावेशी माहौल बनाने के हेतु शारीरिक एवं मानसिक दण्ड का कोई स्थान नहीं हो सकता है।
- विद्यालय अनुशासन को थोपने के बजाय बच्चे का स्वानुशासित होना जरूरी है।
- इसके लिए विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण सृजित किया जाना चाहिए जिससे बच्चा अपने चिन्तन एवं कर्म की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीखे व दूसरों को पहुँचने वाली बाधा एवं पीड़ा को महसूस करना सीखे।
- विद्यालय बच्चों को स्वयं निर्णय लेने एवं इन निर्णयों के क्रियान्वयन में सक्षम बनाएँ।
- बच्चे विद्यालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं व्यवस्था से सीखते हैं।
- विद्यालय शिक्षार्थियों के लिए ऐसे मौके उपलब्ध करवाएँ कि बच्चे मौजूदा धारणाओं और समझ पर निर्णय ले पाए, उन्हें चुनौती दे पाएँ या उनमें कुछ नया जोड़ पाएँ।

प्रदेश में मध्यान भोजन की शुरूआत वर्ष 1995 से हुई है जिसके अंतर्गत सभी शासकीय एवं शासन के अनुदान प्राप्त विद्यालयों को कच्चा खदयान वितरण किया गया था लेकिन याचिका 198 /2001 के अनुकूल सर्वोच्चय न्यायालय में पके हुए भोजन का आदेश पारित हुआ

योजन्तार्गत पके पकाए भोजन की व्यवस्था:-

इस योजनान्तर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र-छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है| योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गयी है| इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से खाद्यान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाता है| प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चाहिए| परिवर्धित पोषक मानक के अनुसार मेनू में व्यापक परिवर्तन किया गया है, तथा इसका व्यापक प्रसार प्रचार किया गया है

खाद्यान्न की व्यवस्था:-
मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों/वार्ड सभासदों की देख रेख में किया जा रहा है| भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) जो फूड कोर्पोरतिओं ऑफ़ इंडिया से निःशुल्क प्रदान किया जाता है, उसे सरकारी सस्ते गल्ले की दिकन के माध्यम से ग्राम प्रधान को उपलब्ध कराया जाता है जो अपने देखरेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार करते हैं| भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवथा करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है| इस हेतु उसे परिवर्तन लागत भी उपलब्ध करायी जाती है| नगर क्षेत्रों में अधिकाँश स्थानो पर भोजन बनाने का कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है|
योजना के क्रियान्वयन से निम्न उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन अक्तूबर 2006 में निम्न उद्धेश्यों को ध्यान में रख कर किया गया है :-

- प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अर्ह प्राथमिक विद्यालयों, ई०जी०एस० एवं अ०आइ०ई० केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करना|
- पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना|
- विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना|
- प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय में छात्रों के रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्राप आउट रेट कम करना|
- बच्चों में भाई-चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मो के मध्य के अंतर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठा कर भोजन कराना ताकि उनमे अच्छी समझ पैदा हो|

केस स्टडी

यह कहानी शासकीय संजय माध्यमिक विद्यालय, पुलिस लाइन नरसिंहपुर की है | जहाँ शाला के नए प्रधान पाठक श्री संजय कुमार चौबे ने मई 2017 में कार्यभार ग्रहण करते ही, इस चुनौती का हल खोजना सहज स्वीकार किया और उस पर काम करना शुरू किया

पहली चुनौती
- उनके अंदर सेबच्चों में जातिगत भेदभाव व ऊँच - नीच की भावना को जड़ से समाप्त कर सभी के प्रति समभाव जाग्रत करना, जिसके लिये वो बातचीत व समझाने से तैयार नहीं थे।

दूसरी चुनौती
- बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई की आदत डालकर स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करना तथा उनको अपने आसपास के परिवेश को भी साफ रखने के लिये प्रेरित करना

तीसरी चुनौती
- । स्वास्थ्यगत् कारणों से शाला नहीं आ रहे और भोजन ग्रहण करने से बचने के लिये शाला से भाग रहे बच्चों की शाला में नियमित एवं पूर्णकालिक उपस्थिती बनाये रखना

अधिकांश बच्चे आर्थिक रुप से कमजोर, गरीब एवं अशिक्षित मजदूर परिवारों से आते हैं। तो कुछ बच्चे शिक्षित अथवा अल्पशिक्षित मध्यम वर्गीय परिवारों से भी हैं। जिनमें एक ओर ऐंसे कुछ मध्यमवर्गीय शिक्षित / अल्पशिक्षित परिवार अभी भी रुढीवादी मान्यताओं के चलते धर्म , जाति, ऊँच - नीच की बेड़ियों से जकड़े हुये हैं और इन बेड़ियों को तोड़ने तैयार नहीं हैं।

मजदूर वर्ग के परिवारों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति परिस्थितीजन्य कारणों से अरुचि रहती है। जिससे अधिकतर बच्चों में पेटदर्द, सरदर्द, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों की शिकायतें भी आम तौर पर बनी रहती है

बच्चों की शाला में उपस्थिती भी प्रभावित हो रही थी और वो भोजन में रुचि भी नहीं ले रहे थे।

बदलाव के विभिन्न प्रयास:

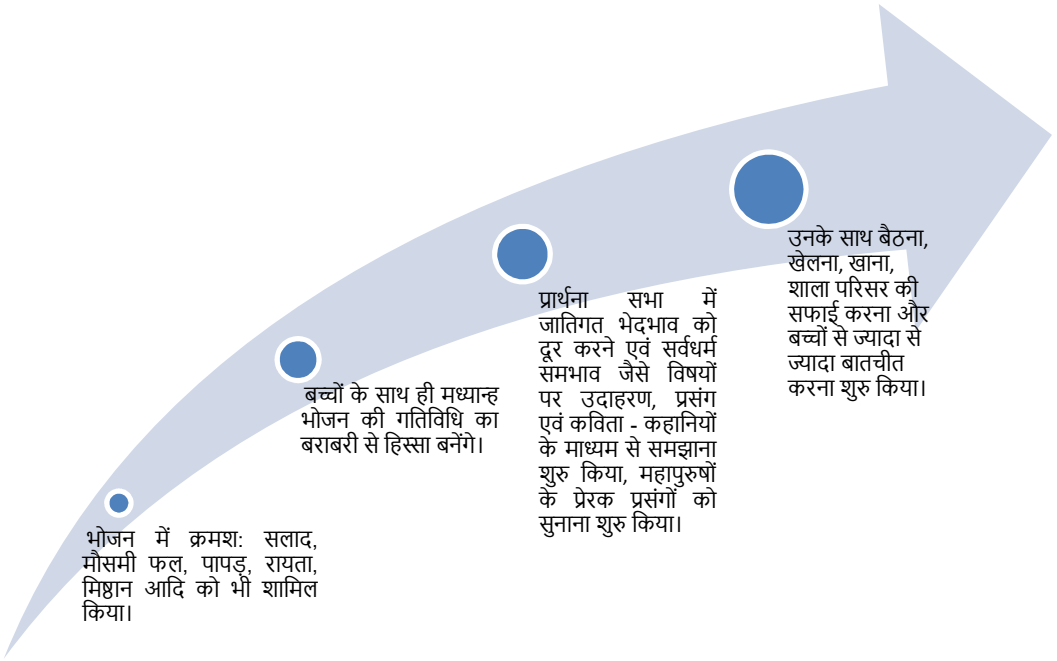

निष्कर्ष : **मध्याह्न भोजन** के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इन्कार करते हैं **लगातार विभिन्न प्रयासों के माध्यम से विद्यालय में सभी वर्गों के बच्चे परस्पर समता की भावना के साथ एक साथ बैठकर मध्यान भोजन करते है** प्राथमिक **विद्यालयों माध्यम** से **मध्यान्ह भोजन** योजना के परिणामस्वरूप **विद्यालय** के सभी विद्यार्थियों को **मध्यान्ह भोजन** मिलने से **सामाजिक** समानता की भावना बढ़ती है

'**समावेशी** शिक्षा' सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना **विद्यालय** का कर्तव्य होता है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उनका **सामाजिक**, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास भी करें। **सामाजिक** एवं नैतिक विकास शिक्षक और अपने समवयस्कों के साथ अंत:प्रक्रिया के **माध्यम** से होता है।

विचारात्मक प्रश्न:

- **सामाजिक समावेशन से क्या समझते है अपने विचार संक्षिप्त में लिखिए !**

  .....
  .....
  .....

- **विद्यालय में किन -किन गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया जा सकता है**

  .....
  .....
  .....
  .....

- **यह प्रतिबिंबित करे की आपका स्कूल सामाजिक समावेशन के मामले में आज कहाँ खड़ा है और क्यों ?**

  .....
  .....
  .....
  .....

- **मध्यान भोजन प्रणाली का सामाजिक समावेशन में योगदान पर विश्लेषण लिखे !**

  .....
  .....
  .....
  .....

- **समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परम्पराये सामाजिक समावेशन को किस प्रकार अवरुद्ध करती है**

  .....
  .....
  .....
  .....

संदर्भ:

1. प्री स्कूल गॉइडलाइन फार प्री स्कूल एजुकेशन नई दिल्ली
2. एन.सी.एफ. 2010.
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009.
4. भारतीय संविधान।
5. सर्व शिक्षा अभियान परियोजना-आधारभूत दस्तावेज
6. http://itpd.ncert.gov.in